राजधानी में युवाओं का प्रदर्शन, भर्ती और परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के नाम 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेशभर के छात्र-युवा एकत्र हुए।

मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के करीब 20 जिलों से छात्र, युवा और नर्सिंग विद्यार्थी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, प्रश्नपत्र लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार, ठेका प्रथा तथा नर्सिंग विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हाथों में तख्तियां और पोस्टर दिखाई दिए। एक पोस्टर पर लिखा था, 'यह पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है।' कई छात्र सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के चित्र लेकर पहुंचे और उनके आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी चंद्रशेखर आजाद के चित्र भी साथ लाए। इस दौरान 'मन की बात तो करते हैं, मगर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती' जैसे नारे भी लगाए गए।

मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के मध्य प्रदेश संयोजक प्रमोद नामदेव ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई से छात्र-युवाओं में आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के नाम 13 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा गया।

कांग्रेस के मार्च में युवक से मारपीट

पीड़ित ने विधायक समर्थकों पर लगाया आरोप विधायक बोले- हमारी मांग केवल छात्रों को न्याय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब मध्य प्रदेश में भी तेज हो गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान एक युवक के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई।

भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित दो सौ से अधिक कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ओर पैदल रवाना हुए। पुलिस ने पांच नंबर बस स्टॉप के पास बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया।

इसी दौरान बैरिकेड के पास मौजूद भीड़ ने एक युवक को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर युवक को भीड़ से बचाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मारपीट करने वाले लोगों का कहना था कि युवक जेब काट रहा था। वहीं घायल माज कुरैशी ने आरोप लगाया कि उसके साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों ने मारपीट की। उसका कहना था कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता है और उसने विधायक के विरुद्ध सामाजिक माध्यम पर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिससे नाराज होकर उसके साथ मारपीट की गई।

मारपीट के आरोपों पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान मीडिया लगातार उनके साथ मौजूद था और उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों को न्याय दिलाना है। कांग्रेस नेताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर संसद में चर्चा, छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने तथा परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की।

जेपी अस्पताल में 21 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, बहाली की उठी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में जिला रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कार्यरत 21 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रभावित कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को मनमाना तथा नियमों के विपरीत बताते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री से निष्पक्ष जांच कराकर सेवाएं बहाल करने की मांग की है। गत 22 जुलाई को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं सचिव, जिला रोगी कल्याण समिति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशों के पालन में कार्यकारिणी समिति के निर्णय के बाद कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। सेवामुक्त कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को दिए आवेदन में दावा किया है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से जिला रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में संगणक परिचालक, औषधि वितरक, प्रयोगशाला तकनीशियन, वाहन चालक, टिकट लेखक, सफाईकर्मी तथा अन्य पदों पर कार्यरत रहे हैं और लंबे समय से अस्पताल की व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा समाप्ति के आदेश में स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के 18 जुलाई 2019 के आदेश का उल्लेख किया गया है, जबकि उस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आदेश जारी होने के बाद जिला रोगी कल्याण समिति द्वारा सीधे संविदा अथवा अन्य किसी माध्यम से नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी नियुक्तियां वर्ष 2019 से कई वर्ष पहले तत्कालीन नियमों तथा कलेक्टर दर के प्रावधानों के अनुसार हुई थीं। ऐसे में वर्ष 2019 के आदेश को पूर्व प्रभाव से लागू कर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को हटाना उचित नहीं है। आवेदन में कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सेवा समाप्त करने से पहले उन्हें न तो कारण बताओ सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। उनका कहना है कि 22 जुलाई को कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और उसी दिन तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

चंबल में घड़ियाल और दुर्लभ कछुओं की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल और दुर्लभ कछुओं की तस्करी रोकने के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोहों की सक्रियता की आशंका को देखते हुए चंबल नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके लिए मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के वन विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉ. समीता राजौरा ने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील घाटों पर विशेष निगरानी रखने, नियमित गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ तीनों राज्यों की संयुक्त टीम समन्वित कार्रवाई करेगी।

वन विभाग ने सभी घाट प्रभारियों को मछुआरों का पंजी तैयार करने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने तथा घड़ियाल और कछुओं के प्रजनन काल में चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। अवैध मत्स्याखेट और वन्यजीवों के शिकार में शामिल लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियालों का प्रमुख प्राकृतिक आवास होने के साथ कई दुर्लभ कछुआ प्रजातियों और डॉल्फिन सहित समृद्ध जलीय जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है।

श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों :शुक्ल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने श्योपुर और सिंगरौली शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की शैक्षणिक और चिकित्सीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थानों का संचालन उच्च गुणवत्ता और दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में फैकल्टी की उपलब्धता, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती, चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं तथा आउटसोर्स मानव संसाधन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने सभी आवश्यक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने और उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि श्योपुर और सिंगरौली जैसे आकांक्षी क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कॉलेज स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करेंगे। निर्माण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए विद्यार्थियों तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू, आज से होगा परेड अभ्यास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे लाल परेड मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोजन को सुव्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तय समय-सीमा में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के निर्देशानुसार 24 जुलाई से लाल परेड मैदान में परेड का नियमित पूर्वाभ्यास शुरू होगा। अभ्यास प्रतिदिन सुबह और शाम निर्धारित समय पर किया जाएगा। समारोह से पहले 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी।

इस वर्ष राज्य स्तरीय परेड में कुल 18 प्लाटून भाग लेंगी। इनमें महाराष्ट्र पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), विशेष सशस्त्र बल, हॉक फोर्स, एसटीएफ, जिला पुलिस, जेल विभाग, शासकीय रेल पुलिस, नगर सेना, एनसीसी की विभिन्न विंग, स्काउट्स, गाइड्स, शौर्य दल, पुलिस बैंड और अश्वरोही दल शामिल होंगे। परेड की जिम्मेदारी 7वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के सेनानी और उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल (मध्य क्षेत्र) के मार्गदर्शन में निभाई जाएगी। अधिकारियों ने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

नाथुबरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निरीक्षण महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियां तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को नाथुबरखेड़ा स्थित निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निरीक्षण कर महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के फेस-1 का लोकार्पण जल्द किया जाएगा। इसके शुरू होते ही यहां एथलेटिक्स, हॉकी और फुटबॉल की गतिविधियां प्रारंभ होंगी। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगी और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बेहतर तैयारी का अवसर देंगी।

महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी टर्फ, फुटबॉल मैदान, खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम, मेडिकल सुविधाएं, दर्शक दीर्घा, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और आईटी नेटवर्क सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान प्रवेश एवं निकास मार्ग, सड़क संपर्क, हरित क्षेत्र, फायर सेफ्टी, विद्युत और जलापूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था तथा प्रशासनिक भवनों का भी जायजा लिया गया। मंत्री ने निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित तकनीकी निरीक्षण और आवश्यकतानुसार थर्ड पार्टी ऑडिट कराने पर भी जोर दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र राज्य खाद्य आयोग और मप्र राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 : प्रगति, चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में संपन्न हुआ। इसमें नीति-निर्माताओं, अधिकारियों, शिक्षाविदों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों तथा विभिन्न राज्यों के खाद्य आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पांच करोड़ से ज्यादा हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने 'राशन आपके द्वार', एसएमएस आधारित सूचना, दिव्यांगजनों के लिए प्रॉक्सी राशन सुविधा और बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता जैसी पहलों का उल्लेख किया। सेमिनार के विभिन्न तकनीकी सत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण, ई-केवाईसी, आइरिस आधारित ई-पीओएस, 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' और डिजिटल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन पोषण सुरक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण से निपटने, बहु-विभागीय समन्वय तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए।

तिलक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि उनके विचार देशभक्ति का अमूल्य स्रोत हैं।

विक्रय-पत्र गुम कि सूचना

(भूखण्ड क्रमांक- 40, सेक्टर-8, ग्राम रतनपुर सड़क, नटराज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जिला भोपाल)

मैं अपने पक्षकार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा एम.पी नगर भोपाल ऑफिस के द्वारा अधिकृत करने से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि श्री विपुल कुमार सिन्हा आत्मज स्व श्री आर पी.सिन्हा, निवासी एमआईजी 201/2ए, ग्राम साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा अपने स्वामित्व व अधिपत्य का एक भूखण्ड क्रमांक 40, सेक्टर-8, ग्राम रतनपुर सड़क, नटराज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल जिसका खसरा क्रमांक 231, 232, 239, 241, 242, 283, 242/1/4, 242/1/12, 242/1/10, 242/1/6 के अंश भाग पर स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 446.09 वर्गमीटर अर्थात 4800 वर्गफिट है जिसकी चतुर्थ सीमाये पूर्व में भूखण्ड क्रमांक 39, पश्चिम में कॉलोनी रोड, उत्तर में-भूखण्ड क्रमांक 41. दक्षिण में कॉलोनी रोड है जिसको मेरे पक्षकार के कार्यालय में सम्यक बंधक कर गृह ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त भूखण्ड की पूर्व की मूल रजिस्ट्री दिनांक 30/01/1992 जो की नटराज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल द्वारा श्री राजेंद्र चौबे आत्मज श्री रमाकान्त जी चौबे के द्वारा श्री निपूर्ण कुमार सिन्हा आत्मज स्व. श्री आर.पी. सिन्हा के पक्ष में निष्पादित की गई थी जिसका इन्द्राज उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक क्रमांकA-1, ग्रंथ क्रमांक 12212, दस्तावेज क्रमांक 4499 में अंकित है जो कही गुम हो गई होने का कहा गया है एवं जिसकी सूचना सबंधित कोलार पुलिस थाना में की गई है अतः उपरोक्त संपति को सम्यक बंधक कर मेरे पक्षकर के द्वारा श्री विद्युल कुमार सिन्हा आत्मज स्व श्री आर. पी. सिन्हा, को ऋण प्रदान किया जाता है तो किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था, कार्यालय, आदि को कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिन के अदर मय दस्तावेजो के संग मेरे कार्यालाय में आपति प्रस्तुत करे।

Sandeep Ganguly, (Advocate)
Head Office. A-86, Kamla Nagar Kotra Sultanabad, Bhopal (M.P.)
Mobile 9826089328,

1056

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम पूर्व में बनी पासपोर्ट के अनुसार HASINA BEE D/O ABDUL MAJID से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित HASEENA BEE D/O ABDUL MAJEED हो गया है। अब मुझे मेरे नए एवं पूरे नाम HASEENA BEE D/O ABDUL MAJEED से जाना पहचाना जाए। निवासी- मकान नं. 39 कालिका मंदिर के पास, हलालपुर भोपाल (मध्य प्रदेश)

1055

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि में मो. इजहार उस्मानी MOHD IZHAR USMANI पुत्र अब्दुल सुबूर उस्मानी ABDUL SUBOOR USMANI निवासी म.न. 515, गली नं. 12 आरिफ नगर बैरसिया रोड भोपाल म.प्र. का निवासी हूँ तथा मेरा नाम मोहम्मद इजहार उस्मानी MOHAMMAD IZHAR USMANI था जिसे बदलकर मो. इज़हार उस्मानी MOHD IZHAR USMANI रख लिया है मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजो में मेरा नया नाम मो0 इज़हार उस्मानी MOHD IZHAR USMANI लिखा है। अतः मुझे भविष्य में मेरे नये नाम मो. इज़हार उस्मानी MOHD IZHAR USMANI नाम से जाना पहचाना जाये ।

1054

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 04 बावड़ियाकला तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

रा.प्र.क. 0156 अ/-12/2026-27
ग्राम नाम-बावडिया कला

सूचना पत्र

प्रति, 1. मनोज श्रीवास्तव आ.जी.पी. श्रीवास्तव नि.ई. अरेरा कॉलोनी भोपाल, श्री सुखवीर सिंह कुकरेजा आ. राजेन्द्र सिंह कुकरेजा एवं जोगेन्द्र पाल सिंह अलघ ओ. प्रेम सिंह अलघ निवासी ई-6 अरेरा कालोनी भोपाल।3. श्री शरद आचार्य आ. स्व श्री ओकार प्रसाद आचार्य 4. **SHANTI Colonlzess** अर्पित जैन आ. अजय जैन नि. भोपाल 5. पलास गृह निर्माण सहकारी समितियां भोपाल राजेश आ. प्रभुदयाल नि. भोपाल 6. आकृति रेट्रिरिट्र द्वारा रहवासीगण (वर्तमान कालोनी) अध्यक्ष को सूचनाथ एवं अन्य पडोसीगण। **विषय**:- सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकश्री सुखवीर सिंह कुकरेजा पिता राजेन्द्र सिंह कुकरेजा निवासी द्वारा ग्राम- बावड़िया कॅला, प.ह.नं. में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 150/2/13 बावड़िया कलां रकबा क्रमांक 0.2060 हे. हेक्टेयर भूमि कुल रकबा 0.2060 हे. हेक्टयर भूमि का सीमाकंन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तूत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक 25/07/26 को समय प्रातः 12:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वासी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र मे कराया जा सकता है। आज दिनांक 20/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल

1053

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मसूद अहमद पिता सईद अहमद, निवासी 1 गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे, जहाँगीराबाद, भोपाल म.प्र. 01. यह कि मेरा घर का नाम अहमद है। 02. मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम मसूद अहमद अंकित है। 03. यह कि अहमद उर्फ मसूद अहमद दोनों नाम मेरे ही हैं एवं मैं दोनों ही नामों से ही जाना पहचाना जाता हूँ।

1052

नाम परिवर्तन सूचना

मैं इरशाद अहमद उर्फ शाहिद अहमद पिता कबीर अहमद, निवासी-15, कुम्हारपुरा रोड, शाहजहांनाबाद, भोपाल म.प्र. 01. मेरा घर का नाम इरशाद अहमद है। 02. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम शाहिद अहमद अंकित है। 03. यह कि इरशाद अहमद उर्फ शाहिद अहमद दोनों नाम मेरे ही हैं एवं मैं दोनों ही नामों से ही जाना पहचाना जाता हूँ।

1051

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार PNB HOUSING FINANCE LIMITED भोपाल द्वारा शाखा प्रबन्धक की ओर से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि श्री विजय कुमार गौतम आत्मज श्री जुगल किशोर गौतम निवासी-भोपाल के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक किता आवासीय प्लॉट क्रमांक 204-सी, जो कि खसरा क्रमांक 16/1/1 का अंश भाग होकर, राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्राम दानिशकुंज, कोलार रोड़, तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफिट है जिसके दिशा पूर्व में प्लॉट क्रमांक 205, दिशा पश्चिम में प्लॉट क्रमांक 203, दिशा उत्तर में प्लॉट क्रमांक 184 एवं दिशा दक्षिण में 20 फिट रोड है। यह कि उक्त सम्पत्ति को श्री विजय कुमार गौतम आत्मज श्री जुगल किशोर गौतम निवासी- भोपाल द्वारा श्री मोहित बोबडे आत्मज श्री बालकरण बोबडे निवासी भोपाल को विक्रय किया जा रहा है जिसे क्रय करने हेतु श्री मोहित बोबडे द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर मेरे पक्षकार PNB HOUSING FINANCE LIMITED भोपाल के समक्ष ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा है। यह कि उक्त सम्पत्ति से संबंधित पूर्व का मूल लिंक दस्तावेज दिनांक 30.03.2013 को पुस्तक क्रमांक अ-01, खण्ड क्रमांक 355 एवं दस्तावेज क्रमांक 4679/1 पर श्री शकील ढोंके आत्मज श्री रमेश ढोंके निवासी भोपाल के नाम पर पंजीकृत है कहीं गुम हो गया है जो कि बहुत खोजने पर भी नही मिल रहा है। तथा श्री प्रणय दीक्षित आत्मज श्री महेश दीक्षित की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के नाम दिनाँक 05/03/2026 को करा लिया है। मेरी पक्षकार कंपनी उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करने जा रही है यदि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति, (परिवार के अन्य सदस्य अथवा वारिस) संस्था, बैंक, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का स्वत्व, आधिपत्य, हित, ऋण, बंधक (सायक), भार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि के अन्दर मुझे, मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरी पक्षकार कंपनी उपरोक्त सम्पत्ति पर उपरोक्त पक्षकार को ऋण प्रदान कर सकेगी।

राजेन्द्र सिंह राजपूत, अधिवक्ता
308 बी डी ए काम्पलेक्स, 7 नं. स्टाप शिवाजी नगर भोपाल
मो. 9039246080,07554922691

1050

आम सूचना

मेरे पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी 1. भोपाल की ओर से सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है, कि श्री गुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह एवं श्रीमती राजिन्दर कौर पत्नी श्री गुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा, उनके संयुक्त, स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता आवासीय मकान जो भूनं. 61/2सी, पर निर्मित है, उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 195.81 वर्गमीटर है, जो सेक्टर 2 सी, साकेत नगर, वार्ड नं.-53, तहसील- कोलार/हुज़ूर, जिला भोपाल में स्थित है एवं जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूरव में म.नं. 60/2सी, पश्चिम में म.नं. 62/2सी, उत्तर में मैदान, एवं. दक्षिण में रोड़, को साम्यिक बंधक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संपत्ति सम्पत्ति से संबंधित चेन टाइटल डीड, विक्रय-पत्र दिनांक 07.02.1983 की मूल प्रति कहीं गुम हो जाने के कारण उनके पास उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में उनके द्वारा पुलिस थाना बागसेवनिया, जिला भोपाल में दस्तावेज खो जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिर्पोट दिनांक 21/07/2026 को एन.सी.आर. में दर्ज कराई गई है. उक्त खो गये चेन टाइटल डीड, विक्रय पत्र का कोई दुरुपयोग न हो, इसलिये इस सूचना का प्रकाशन भी किया जा रहा है। मेरे पक्षकार बैंक में उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर साम्यिक बंधक किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, शासकीय अर्थशासकीय निकाय को किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का कोई भार या ऋण हो या किसी अन्य व्यक्ति के हित निहित हो या कोई विवाद या ऋण हो या उक्त मूल चेन टाइटल डीड, विक्रय-पत्र, किसी भी व्यक्ति को मिले या किसी के पास हो तो मेरे पक्षकार बैंक में प्रस्तुत करें एवं इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ गेरे कार्यालय (कार्यालयीन समय सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे) में आपत्ति दर्ज कराये, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि एवं शेष अन्य मूल दस्तावेजों के आधार पर बंधक कर ऋण प्रदान कर सकेगा। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नही होगी।

D. S. BHADOURIYA,ADVOCATE
Off 126 VARDHMAN GREEN PARK COLONY ASHOKA GARDEN, BHOPAL, M.P.
(M) 9827452301

1049

।। ॐ शांति ।।

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि

स्व. श्री जगदीश प्रसाद नीखरा

(आयु 88 वर्ष)

का दिनांक 11 जुलाई 2026 को निधन हो गया है।

(वे पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद नीखरा के बड़े भाई थे)

उनकी पावन स्मृति में

श्रद्धांजलि-तेरहवीं

गंगाजली पूजन | तेरहवीं | ब्राह्मण भोज

कार्यक्रम विवरण

दिनांक: 24 जुलाई 2026, दिन: शुक्रवार
समय: दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे तक
स्थान: होटल वरदान, सिविल लाइन्स, सागर (म.प्र.)

कृपया पधारकर पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें एवं प्रसाद ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें।

शोकाकुल परिवार

पुत्र - विजय नीखरा, अजय नीखरा, असीम नीखरा एवं समस्त नीखरा परिवार
सिविल लाइन्स सागर, बंदूक वाला गुप्ता परिवार, सागर
Mob- 9425170537, 9425170538